भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

बेज नम्बर 24-25
दक्षिण मार्ग, सैक्टर 31 ऐ
चण्डीगढ़-160030
दिनांक 03.02.2010

फाईल नम्बर 9-HPC025/2010-CHA /1677

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग,
सिविल सचिवालय,
शिमला ।

विषय:- Diversion of **9.2123** hectare of forest land in favour of Municipal Corporation Shimla for the construction of Land Fill Site for Solid Waste Management Project at Taradevi in Shimla, within the jurisdiction of Forest Division & Distt. Shimla, Himachal Pradesh.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपने पत्र संख्या FFE-B-F (2)-3/2010 दिनांक 12.01.2010 और नोडल आफिसर एवं मुख्य वन संरक्षक (FCA) के पत्र संख्या Ft. 48-1962/2010 (FCA) दिनांक 23.01.2010 का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **9.2123 हैक्टेयर** वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्रधिकारी की **सैधान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

1. प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
2. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-1/98-FC (Part-II) दिनांक 11.08.2003 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि का नैट प्रजैंट वैल्यु जमा करवाई जाये।
3. भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/2006-FC दिनांक 20.05.2006 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या CA-1595, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 या लेखा संख्या 344901010070128 भारतीय युनियन बैंक, सुदरनगर, नई दिल्ली में जमा कराया जाये और इस कार्यालय को सूचित किया जाये ।

उपर्युक्त शर्तो की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके । **केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिये ।**

भवदीय,

(श्री कृष्ण सहरावत)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:-
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभग, टालैंड, शिमला ।
2. अपर वन महानिदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
3. Divisional Forest Officer, Forest Division & Distt. Shimla, Himachal Pradesh.
4. Commissioner, Municipal Corporation, Shimla, Himachal Pradesh.
5. गार्ड फाईल ।

Executive Engineer
Roads & Buildings
Deptt., M.C. Shimla